

an&gt;

Title: Need to provide licence for sand-mining to economically weaker sections of people belonging to Sonbhadra district, Uttar Pradesh.

**श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज)** : उत्तर प्रदेश में पूर्व सरकार के द्वारा खासतौर पर जनपद सोनभद्र में व पूर्वांचल में केवट, मल्लाहों को अपने जीवन-यापन हेतु पांच एकड़ जमीन तक बालू खनन का पट्टा दिया गया था। उस व्यवस्था को उत्तरवर्ती सरकारों ने बंद कर दिया। इस व्यवस्था को पुनः लागू किया जाये। साथ ही साथ उसी आधार पर आदिवासी, एस.टी. गरीब परिवारों को भी खनन के लिए जमीनों को पट्टा दिया जाये, जिससे गरीब परिवारों को बालू गिट्टी के द्वारा रोजगार मिल सके तथा जनपद सोनभद्र में गरीबों के मकान बनाने हेतु बालू गिट्टी सस्ते दामों पर मिले। ऐसी नीति बनाई जाये। क्योंकि ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से अधिक दामों पर बालू गिट्टी बेची जा रही है।